करनाल तेल शोधक कारखाना

181. **श्री रणजीत सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करनाल में सरकारी/संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले तेल शोधक कारखाने का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या यह सही है कि इसके निर्माण कार्य को पूरा होने में विलम्ब के कारण इस परियोजना की समग्र लागत में वृद्धि हो गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ङ) क्या सरकार वर्तमान तेल संकट को देखते हुए तेल शोधक कारखाने के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा कराने के लिए विशेष प्रयास कर रही है ; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ङ) देश में समग्र शोधन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार करनाल रिफाइनरी समेत सभी रिफाइनरी परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वयन के प्रति सचेत है । इसके अनुरूप सरकार ने इंडियन आयल कार्पोरेशन को प्रस्तावित रिफाइनरी के लिए उच्चतम संसाधन योजना सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी समाहित करते हुए शीघ्र एक संशोधित विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है । संशोधित रिपोर्ट के अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लागत और समय के प्रारूप को निर्धारित किया जायेगा ।

"सी०ई०ए० फोरकास्ट्स सार्टफाल इन पावर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

182. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 फरवरी, 1991 के टेलीग्राफ में "सी० ई०ए० फोरकास्ट्स 8757 मे०वा० शार्टफाल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी अनुमानों के अनुसार वर्ष 1990-91 के दौरान देश में विद्युत उत्पादन में कितनी कमी आने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सरकार विद्युत की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिये इसके उत्पादन की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंपने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और इन मामलों में अभी तक क्या-क्या रचनात्मक कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबनराव धकने) : (क) जी, हां ।

(ख) 1990-91 के अन्त में देश में प्रत्याशित व्यस्ततमकालीन मांग की कमी 8295 मे०वा० होगी ।

(ग) और (घ) भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 एवं विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 जो भारत में विद्युत सप्लाई उद्योग को अभिशासित करते हैं, निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन को प्रतिबन्धित नहीं करते । विद्युत की बढ़ती हुई मांगों एवं संसाधनों की कमी, जो सार्वजनिक क्षेत्र की यूटिलिटियों के लिये अवरोधक होते हैं, को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने, विद्युत उत्पादन सप्लाई एवं वितरण में निजी क्षेत्र को इस शर्त पर कि निजी क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाएंगे, अधिकाधिक सहभागिता